न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 100 / 2023

अनवान : –

1. द्वारका प्रसाद पुत्र विजय सिंह जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. सन्तलाल पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. विजय सिंह पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानढ़
2. पूर्णराम पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
3. इन्द्रपाल पुत्र मगनीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
4. कृष्णलाल पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
5. अमरसिंह पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
6. दिलावर पुत्र रामकुमार पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
7. मनोहर लाल पुत्र रमाकुमार जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
8. ओमप्रकाश पुत्र हरदयाल जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
9. प्रकाश पुत्र मगनीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
10. बंशीराम पुत्र मगनीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
11. चन्द्रवली पत्नि भूपसिंह जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
12. परसाराम पुत्र भूपसिंह जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
13. हनुमान पुत्र भूपसिंह जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
14. कमला पुत्री भूपसिंह जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
15. भतेरी पुत्री भूपसिंह जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
16. मालाराम पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
17. रामप्रताप पुत्र मगनीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
18. हरिराम पुत्र हरदयाल जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
19. कमला पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
20. कृष्णा पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
21. नाथी पत्नि बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
22. बुधराम पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
23. बाधो देवी पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
24. मुकेश पुत्र विमला जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
25. मन्जु पुत्री विमला जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
26. रोशनी पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
27. विद्यादेवी पुत्री बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
28. सरला पुत्री बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
29. रजना कुमारी पत्नि महेन्द्रपाल जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
30. कपिल पुत्र महेन्द्रपाल जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
31. आरजु नाबालिग पुत्री महेन्द्रपाल जरिये सरक्षिका माता रजना कुमारी पत्नि महेन्द्रपाल जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
32. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
33. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर

– अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:58:37 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

[illegible] 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित : श्री [illegible] किशोर जोशी अधिवक्ता सायल

श्री [illegible]न्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक: [illegible]/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

का पेश किया कि रोही मौजा बड़बिराना तहसील नोहर के खाता सं. 378 / 253 के ख.न. 489 की 7.7140 हैक्टर भूमि ख.न. 523/1 की 10.876 हैक्टर ख.न. 524 की 3.693 हैक्टर ख.न. 609 की 0.1140 हैक्टर ख.न. 610 की 1.3410 हैक्टर ख.न.प. 619 की 5.2860 हैक्टर ख.न. 683 की 1.5180 हैक्टर ख.न. 700 की 1.6690 हैक्टर कुल तादादी 32.2110 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसके सायलान के पड़दादा चन्दु पुत्र गणपत जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे।

सायलान के दादा चन्दुराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी बड़ीबिराना तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे यह कि सायलान के पड़दादा चन्दुराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल साकिन बड़ीबिराना तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि विरास्तन उनके पांच पुत्रगण पूर्णराम, काशीराम, मगनीराम, हरदयाल, चेतराम के नाम संयुक्त तौर से दर्ज हुई तथा रोही मौजा बड़ीबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 378/352 की कुल तादादी 32.2110 हैक्टर भूमि में संयुक्त तौर से गैरसायला सं. 1 का 1/15 हिस्सा, गैरसायलान सं. 2 का 1/10 हिस्सा भूमि हिस्से में आई। उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल सं. 1 एवं गैरसायल सं. 2ल के नाम बतौर कर्ता हिन्दू खान दान दर्ज है तथा गैरसायलान सं. 1 व 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक भूमि जिसमें सायलान का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है इसलिए सायलान एव गैरसायलान सं. 1, 2 के साथ ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। एवं सायलान न्यायालय से हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा इसलिए रोही मौजा बड़ीबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 378/352 की कुल तादादी 32.2110 हैक्टर भूमि में सायल एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 33 ता 35 प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/15 हिस्सा में एवं सायल सं. 2 एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 36 ता 39 गैरसायल सं. 2 के नाम दर्ज 1/10 हिस्सा में ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार सायलान न्यायालय से अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। भूमि बतौर हिन्दु कर्ता खानदान दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 1 ता 2 जो की गैरसायल स0 3 ता 21 के बहकावे में आकर सायल के कब्जा काश्त व हिस्सा की भूमि की सीवं व डोल को मिस्मार करने पर उतारू है तथा सायलान की आजिविका का जरिये उक्त कृषि भूमि है तथा सायलान के पिता जमाबन्दी में दर्ज सह खातेदार काश्तकार गैरसायलान सं. 3 ता 31 के साथ मिली भगत कर एक गिरोह बना रखा है तथा सायलान को आये दिन ऐलानिया धमकी देते है कि वे वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि से बेदखल कर देगे एवं तेरे कब्ज काश्त की भूमि की सींव एवं डोल मिस्मार कर देगे तथा सायलान के कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर बलात काबिज हो जायेगे यदि ऐसा करने में हो जाते है तो सायलान को ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा। इसलिए सायलान गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवापाने के अधिकारी है कि वादग्रस्त कृषि भूमि की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 378/352 की कुल 32.2110 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगणउक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बना[illegible]

अप्रार्थीगण को तलब कि[illegible] 4 [illegible] के जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश [illegible] सजरा खानदान अस्पष्ट व अधूरा पेश किया गया है। अप्रार्थी स0 1 ता 2 की आड़ में अ[illegible] सभी काश्तकार को पाबन्द करवाया गया है जो की न्यायोचित नही है क्योंकि अन्य सभी पक्षकारान रिकोर्डेड खातेदार है जिनके विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:58:37 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि हकों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण्ण के नाम दर्ज है प्रार्थीगण के द्वारा अपने हकों की घोषणा के लिए यह वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक अप्रार्थी स0 1 ता 2 प्रार्थीगण स0 1 ता 2 के पिता है। अप्रार्थी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीगण का जन्मजात हक हिस्सा है अर्थात अप्रार्थी स0 1 ता 2 द्वारा अगर वाद भूमि रहन, बैय व मुन्तकिल की जाती है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी है जबकि प्रार्थना पत्र में दर्ज पक्षकार अन्य सभी पक्षकारो से प्रार्थीगण के कोई हक हिस्सा का निर्धारण नही होना है अन्य सभी जमाबंदी में सयुक्त खातेदार काश्तकार या वारिसान है इसलिए अप्रार्थी स0 3 ता 31 को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 1 ता 2 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 378/352 की कुल 32.2110 हैक्ट भूमि में अप्रार्थी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थी स0 2 ता 31 के विरूद्ध दिनांक 25.05.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 20/01/26 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:58:37 IST
Reason: SelfAttested